दिनांक 11-10-2014 को श्री गोपाल मीणा, भा0प्र0से0, समाहर्त्ता, मधेपुरा की अध्यक्षता में आयोजित आंतरिक संसाधन से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति :- बैठक की पंजी के अनुसार।

सर्वप्रथम समाहर्त्ता द्वारा बैठक में कम उपस्थिति पर खेद प्रकट किया गया। बैठक में महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा, भूमि विकास बैंक के पदाधिकारी, मत्स्य पदाधिकारी, सहायक नियंत्रक माप तौल, वन प्रमंडल /वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा एवं नगर पंचायत, मुरलीगंज, उप समाहर्त्ता, राजस्व, सिंचाई प्रमंडल बैठक से अनुपस्थित पाये गये। इनकी अनुपस्थिति के कारण इनके विभाग की समीक्षा नहीं की जा सकी। समाहर्त्ता द्वारा सभी पदाधिकारियों से अनुपस्थित रहने के लिए कारण पृच्छा मांगने का निदेश दिया गया है। अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा को यह निदेश दिया गया कि बैठक की सूचना अपने स्तर से भी संबंधित पदाधिकारियों को दी जाय।

समाहर्त्ता, मधेपुरा द्वारा उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी। बताया गया कि वर्ष 2014-2015 आधा बीत चुका है। अतः सभी पदाधिकारी शत प्रतिशत राजस्व संग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।

आंतरिक संसाधन से संबंधित विभागवार प्रगति की समीक्षा की गयी एवं स्थिति निम्न प्रकार पायी गयी :-

1. राष्ट्रीय बचत :-

राष्ट्रीय बचत का वार्षिक लक्ष्य 1700 लाख, मासिक लक्ष्य 141.10 लाख है, जिसके विरूद्ध अबतक मासिक वसूली 270.98 जो मासिक लक्ष्य के विरूद्ध वसूली का 192.05 प्रतिशत है। वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध अबतक की वसूली 1077.68 अर्थात् 62.80 प्रतिशत है, जो संतोषप्रद है। राष्ट्रीय बचत पदाधिकारी ने बताया कि नन-बैंकिंग कम्पनियों पर शिकंजा कसने के कारण वसूली में बढ़ोत्तरी हुयी है। समाहर्त्ता द्वारा राष्ट्रीय बचत पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे वरीय उप समाहर्त्ता, बैंकिंग के साथ समन्वय कर समय-समय पर जिले में भ्रमण कर पता लगावें कि कोई नन-बैंकिंग कम्पनी कार्य तो नहीं कर रही है। यदि पाया जाता है तो उनके विरूद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाय।

(अनुपालन - राष्ट्रीय बचत पदाधिकारी, मधेपुरा)

2. परिवहन विभाग :-

परिवहन विभाग का वार्षिक लक्ष्य 885.00 लाख, मासिक लक्ष्य 71.00 निर्धारित है, जिसमें वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध 368.70 तथा मासिक लक्ष्य के विरूद्ध 65.20 लाख की वसूली हुयी है, जो वार्षिक लक्ष्य का 41.66 प्रतिशत तथा मासिक लक्ष्य का 92.41 प्रतिशत है। समाहर्त्ता द्वारा निदेश दिया गया कि अधिक से अधिक वाहनों की चेकिंग की जाय, ताकि वसूली शत प्रतिशत हो सके। यह भी निदेश दिया

गया कि दीवाली एवं छठ के अवसर पर लोग बसों के उपर भ्रमण कर रहे हैं, जिससे जान माल का खतरा हो सकता है। जिला परिवहन पदाधिकारी एवं मोटरयान निरीक्षक को सघन जाँच करने का निदेश दिया गया। यह भी निदेश दिया गया कि बस के छत के उपर सामग्रियों की भी ढुलाई की जा रही है। अतः जिला परिवहन पदाधिकारी एवं उपायुक्त वाणिज्यकर मधेपुरा संयुक्त रूप से जाँच करें एवं नियमानुसार कार्रवाई करें।

(अनुपालन – जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा /अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज)

3. <u>वाणिज्यकर</u> :–

वाणिज्यकर विभाग का वार्षिक लक्ष्य 4612.27 लाख, मासिक लक्ष्य 281. 27 के विरूद्ध अबतक 1380.97 लाख एवं मासिक लक्ष्य के विरूद्ध 93.37 लाख की वसूली की गयी है, जो वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध 29.94 प्रतिशत है। अब तक की कम वसूली पर समाहर्त्ता द्वारा असंतोष व्यक्त करते हुए निदेश दिया गया कि सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर व्यक्तिगत रूचि लेकर लक्ष्य के अनुसार अधिक से अधिक वसूली कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही, यह भी निदेश दिया गया कि बकायेदार ईंट भट्ठा से संबंधित सूची तैयार कर छापेमारी करें। छापामारी के लिए अगर दंडाधिकारी अथवा पुलिस बल की आवश्यकता हो तो इसके लिए अनुरोध पत्र भेजने का भी निदेश समाहर्त्ता द्वारा दिया गया। बड़े-बड़े व्यापारियों के गोदाम में औचक छापामारी करें। छापामारी के लिए गोपनीय सूचना भेजें ताकि उसके गोपनीय ढंग से रणनीति तैयार कर पुलिस बल के साथ छापामारी के की जा सके। कोयला टैक्स, ओभर लोडिंग की जाँच कर दण्ड शुल्क आदि की वसूली करें ताकि अधिक से अधिक वसूली हो सके। दूकानदारों द्वारा ग्राहकों को पक्की रसीद निर्गत नहीं की जाती है, इसकी भी जाँच करे। आम जनता के बीच प्रचार-प्रसार करावें कि सामग्री पर छपे मूल्य कर सहित है, इसलिए अलग से कर के नाम पर कोई भी दूकानदार ग्राहकों का शोषण न कर सके। सरकारी विभागों, जहाँ बड़ी मात्रा में सामग्री का क्रय हो रहा है, वहाँ यह देखें कि आपूर्तिकर्त्ता द्वारा उचित कर का भुगतान किया जा रहा है या नहीं।

(अनुपालन – सहायक आयुक्त, वाणिज्यकर, मधेपुरा)

4. <u>निबंधन</u> :–

निबंधन विभाग का वार्षिक लक्ष्य 4600.00 लाख, मासिक लक्ष्य 319.00 लाख के विरूद्ध वसूली अबतक 1502.00 लाख एवं मासिक लक्ष्य के विरूद्ध 401.2 लाख की वसूली की गयी है, जो वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध 41 प्रतिशत तथा मासिक लक्ष्य के विरूद्ध 186 प्रतिशत है। समाहर्त्ता द्वारा निदेश दिया गया कि वित्तीय वर्ष आधा बीत चुका है। अतः वसूली पर विशेष आवश्यकता है। वसूली कम से कम 50 प्रतिशत होनी चाहिए। जिला अवर निबंधक द्वारा बताया गया कि वसूली शत प्रतिशत हो जाएगी।

(अनुपालन – जिला अवर निबंधक, मधेपुरा)

5. <u>उत्पाद</u> :-

उत्पाद विभाग का वार्षिक लक्ष्य 3554.00 लाख, मासिक लक्ष्य 296.00 लाख के विरूद्ध वसूली अबतक 1867.14 लाख एवं मासिक लक्ष्य के विरूद्ध 105.13 लाख की वसूली की गयी है, जो वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध 52.54 प्रतिशत तथा मासिक लक्ष्य के विरूद्ध 100.31 प्रतिशत है। समाहर्त्ता द्वारा निदेश दिया गया कि वित्तीय वर्ष आधा बीत चुका है। अतः वसूली पर विशेष आवश्यकता है। यह भी निदेश दिया गया कि चोरी छिपे अवैध बिक्री करने वाले शराब व्यवासियों की धर पकड़ की जाय ताकि अवैध कारोबार नहीं हो सके।

(अनुपालन - अधीक्षक उत्पाद, मधेपुरा)

6. <u>खनन एवं भूतत्व</u> :-

खनन एवं भूतत्व विभाग का वार्षिक लक्ष्य 652.44 लाख, मासिक लक्ष्य 21.75 लाख के विरूद्ध वसूली अबतक 258.18 लाख एवं मासिक लक्ष्य के विरूद्ध 15.45 लाख की वसूली की गयी है, जो वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध 39.57 प्रतिशत तथा मासिक लक्ष्य के विरूद्ध 71.03 प्रतिशत है। समाहर्त्ता द्वारा निदेश दिया गया कि वित्तीय वर्ष आधा बीत चुका है। अतः वसूली पर विशेष आवश्यकता है। यह भी निदेश दिया गया कि सभी ईंट भट्टा मालिकों की नियमित बैठक बुलाकर समीक्षा करें। बिना अनुज्ञप्ति के ईंट भट्टा वाले के विरूद्ध प्राथमिक दर्ज की जाय और यदि पुलिस बल की आवश्यकता हो तो प्रतिनियुक्ति हेतु अनुरोध किया जाय।

(अनुपालन - खनन पदाधिकारी, मधेपुरा)

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

15/10/14

अपर समाहर्त्ता,
मधेपुरा।
14/10/14

समाहर्त्ता,
मधेपुरा।

ज्ञापांक......650-2...... /रा0, मधेपुरा, दिनांक...15/10/2014.....

प्रतिलिपि : सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

15/10/14

अपर समाहर्त्ता,
मधेपुरा।
14/10/14

समाहर्त्ता,
मधेपुरा।